

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2016/वैशाख 28, 1938

No. 354]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2016/VAISAKHA 28, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2016

सा.का.नि. 528(अ).— केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बायलर परिचर नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर परिचर (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बायलर परिचर नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के, नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"26 आवेदन का प्रारूप

- (1) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप 'क' में होगा।
- (2) आवेदक, प्रारूप के ऐसे भाग को उसी प्रकार भरेगा जैसे किसी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाता है और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- (3) इस प्रकार भरा गया आवेदन सचिव को अग्रेषित किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित कागजात होंगे :-
(क) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता, व्यावहारिक अनुभव के संबंध में प्रत्येक अनुशंसापत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति (मूल अनुशंसापत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाएंगे) ;

- (ख) आयु प्रमाण पत्र के साथ उसके नियोजक का उत्तम चरित्र का अनुशंसापत्र ;
- (ग) खजाना चालान या कोई अ य ऐसा प्रकार, जो सरकार, इस निमित्त, उस परीक्षा के लिए, जिसमें आवेदक उपस्थित होना चाहता है, विनिर्दिष्ट फीस के समर्थन में विनिर्दिष्ट करे ; और
- (घ) पासपोर्ट आकार की फोटो (50 मि.मि. x 65 मि.मि.) की दो प्रतियां जिसमें से एक के पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे ।"

3. उक्त नियमों के, प्रारूप 'क' के भाग 4 के टिप्पण के, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"2 आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार की फोटो की दो प्रतियां, जिनमें से एक के पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।"

[फा. सं. 6(11)/2009-वायलर्स]

शैलेन सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 213(अ), तारीख 15 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 577(अ), तारीख 11 अगस्त, 2014 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2016

G.S.R. 528(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Boiler Attendants' Rules, 2011, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Boiler Attendants' (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Boiler Attendants' Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 26, the following rule shall be substituted, namely:-

"26. Form of application.—

- (1) Every application for examination shall be in Form 'A'.
- (2) The applicant shall fill in such part of the Form as are to be filled in by a candidate and shall sign on it.
- (3) The filled in application shall be forwarded to the Secretary and shall be accompanied by –
 - (a) one self attested copy of each of the testimonials in respect of academic qualifications, practical experience of the candidate (all original testimonials shall be produced at the time of interview);
 - (b) testimonials of good character from his employer with a certificate of age;
 - (c) a treasury challan or such other mode as the Government may specify in this behalf in support of payment of the fee specified in these rules for the examination at which the applicant prefers to appear; and
 - (d) two copies of recent passport size photographs (size 50mm x 65mm), one of which shall bear the signature of the applicant on the back."

3. In the said rules, in Form 'A', in Part- IV , in the NOTE, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"2. Two copies of a recent passport size photograph of the applicant (size 50mm x 65mm) shall accompany the application which shall bear the signature of the applicant on the back."

[F. No. 6(11)/2009-Boilers]

SHAIENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note- The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 213(E), dated the 15th March, 2011 and last amended vide notification number G.S.R. 577(E) dated 11th August, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2016

सा.का.नि. 529(अ).- के पीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर प्रचालन इंजीनियर (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के, नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"26 आवेदन का प्रारूप

(1) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप 'क' में होगा।

(2) आवेदक, प्रारूप के ऐसे भाग को उसी प्रकार भरेगा जैसे किसी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाता है और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) इस प्रकार भरा गया आवेदन सचिव को अग्रेषित किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित कागजात होंगे -

(क) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता, व्यावहारिक अनुभव के संबंध में प्रत्येक अनुशंसापत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति (मूल अनुशंसापत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाएंगे);

(ख) आयु प्रमाण पत्र के साथ उसके नियोजक का उत्तम चरित्र का अनुशंसापत्र;

(ग) खजाना चालान या कोई अ य ऐसा प्रकार, जो सरकार, इस निमित्त, उस परीक्षा के लिए, जिसमें आवेदक उपस्थित होना चाहता है, विनिर्दिष्ट फीस के समर्थन में विनिर्दिष्ट करे; और

(घ) पासपोर्ट आकार की फोटो (50 मि.मि. x 65 मि.मि.) की दो प्रतियां जिसमें से एक के पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।"

3. उक्त नियमों के नियम 31 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) किसी मा यताप्राप्त संस्था से यांत्रिकी या विद्युत या विद्युत और इलैक्ट्रानिक या रासायनिक या शक्ति संयंत्र या उत्पादन या यांत्रिकरण अथवा यांत्रिकरण और नियंत्रण इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा;"

4. उक्त नियमों के, प्रारूप 'क' के भाग 4 के टिप्पण के, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2 आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार की फोटो की दो प्रतियां, जिनमें से एक के पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।"

[फा. सं. 6(11)/2009-बायलर्स]

शैलेन सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 212(अ), तारीख 15 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2016

G.S.R. 529(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Boiler Operation Engineers' Rules, 2011, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Boiler Operation Engineers' (Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Boiler Operation Engineers' Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 26, the following rule shall be substituted, namely:—

“26. Form of application.—

- (1) Every application for examination shall be in Form 'A'.
- (2) The applicant shall fill in such part of the Form as are to be filled in by a candidate and shall sign on it.
- (3) The filled in application shall be forwarded to the Secretary and shall be accompanied by –
 - (a) one self attested copy of each of the testimonials in respect of academic qualifications, practical experience of the candidate (all original testimonials shall be produced at the time of interview);
 - (b) testimonials of good character from his employer with a certificate of age;
 - (c) a treasury challan or such other mode as the Government may specify in this behalf in support of payment of the fee specified in these rules for the examination at which the applicant prefers to appear; and
 - (d) two copies of recent passport size photographs (size 50mm x 65mm), one of which shall bear the signature of the applicant on the back.”
3. In the said rules, in rule 31, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
“(a) possesses a degree or diploma in Mechanical or Electrical or Electrical and Electronics or Chemical or Power Plant or Production or Instrumentation or Instrumentation and Control Engineering from a recognised Institution;”
4. In the said rules, in Form 'A', in Part- IV, in the NOTE, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—
“2. Two copies of a recent passport size photograph of the applicant (size 50mm x 65mm) shall accompany the application which shall bear the signature of the applicant on the back.”.

[F. No. 6(11)/2009-Boilers]

SHAIENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 212(E), dated the 15th March, 2011.